पी. रामकृष्णम राजू

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(लिखित याचिका (सिविल) संख्या 521/2002)

31 मार्च, 2014

[पी. सतशिवम, सीजेआई, रंजन गोगोई और एन. वी. रमना, जे. जे.]

न्यायपालिकाः

न्यायिक सेवा-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954- एस. 14; पहली अनुसूची भाग I, खंड 2-उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पेंशन जो सीधे बार से नियुक्त किए जाते हैं-भाग I का खंड 2 कहता है कि न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष से कम की सेवा वाले न्यायाधीशों को कोई पेंशन देय नहीं है-संवैधानिक वैधता-आयोजितः न्यायाधीश, जिन्हें अनुच्छेद 217 (2) (ए) के तहत न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, भले ही वे न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य करते हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल एक या दो साल के लिए, पूर्ण हो जाते हैं नियम 26 बी के लागू होने के कारण पेंशन लाभ या न्यायिक सेवा में उनके पहले प्रवेश के कारण-हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बार से नियुक्त

किया जाता है, उन्हें पूर्ण पेंशन का समान लाभ नहीं मिलता है-यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है- एच. सी. जे. अधिनियम की धारा 14 और इसके भाग 1 का खंड 2 पहली अनुसूची जो देय पेंशन को नियंत्रित करती है न्यायाधीश असमान परिणामों को जन्म देते हैं-मौजूदा योजना असमान रूप से बराबर का व्यवहार करती है, जो उल्लंघनकारी है संविधान के अनुच्छेद 14 और 21-चाहे जो भी हो जहाँ से न्यायाधीशों को लिया जाता है, उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए समान पेंशन जैसे उन्हें सेवारत न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते और भत्ते दिए गए हैं-यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा को पेंशन के निर्धारण के लिए गिना जाता है, तो इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि बार में अनुभव को उसी उद्देश्य के लिए समकक्ष क्यों नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ से लिए गए न्यायाधीशों को उच्च पेंशन का न्यायपालिका जिन्होंने कम अवधि के लिए सेवा की है बार से लिए गए न्यायाधीशों के लिए विरोधाभास जिनके पास है कम पेंशन के साथ लंबे समय तक सेवा करना अत्यधिक भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है-बिना किसी कानूनी रूप से वर्गीकरण अपने आप में अनुचित है। प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ स्वीकार्य संबंध-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 21।

सेवानिवृत्त प्रमुख को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए योजना संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए अभिनिर्धारित किया गयाः आंध्र प्रदेश सरकार ने एक राशि स्वीकृत की

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को Rs.14,000/- प्रति माह और Rs.12,000/- की राशि- प्रति माह आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एक अर्दली, चालक की सेवाओं का भुगतान करने के लिए, सुरक्षा गार्ड आदि और अनुबंध के आधार पर सचिवीय सहायता के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए और एक आवासीय दूरभाष अधिकारियों द्वारा दोनों को प्रति माह अनुमति दी गई आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012-आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदम जिन्होंने पहले ही ऐसी योजना तैयार करने की सराहना की गई-अन्य राज्य जो अब तक स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, ऐसी योजना तैयार नहीं की है संबंधित उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लाभ के लिए जितनी जल्दी हो सके।

तत्काल रिट याचिकाएं जो पूर्व में दायर की गइ थी, विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और बार से पदोन्नत उच्च न्यायालयों के सेवा निवर्त न्यायाधीशों का संघ और उच्च न्यायालयों को बार से पदोन्नत किया गया। रिट याचिकाओं में प्रार्थना थी कि पहली अनुसूची के भाग-1 के तहत अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन का निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1954 के तहत एक वकील के रूप में अभ्यास किए गए

वर्षों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा न्यायाधीश के रूप में सेवा में जोडा जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि पहली अनुसूची, भाग तीन, जो न्यायाधीशों से संबंधित था राज्य न्यायिक सेवा से पदोन्नत, लगभग सभी न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन मिलती है, भले ही उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। 2 या 3 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके पूरे सेवा को उच्च न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा में जोड़ा जाता है इस भाग के तहत पेंशन की गणना के लिए न्यायालय इसके लिए कारण, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है। सेवानिवृत्ति याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि हालांकि भाग-I और भाग-III न्यायाधीश समतुल्य पद धारण करते हैं, वे पेंशन और सेवानिवृत्ति के संबंध में समान रूप से स्थित नहीं हैं। ऐसे लाभ जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हैं संवैधानिक पद के संबंध में भारत का संविधान और एक रैंक एक पेंशन मानक होना चाहिए। अपील में 4248-49 / 14 , यह भी प्रार्थना की गई कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी पदोन्नत किया जाए घरेलू सहायक/चपरासी/चालक, टेलीफोन के लिए भत्ता व्यय और अन्य सचिवीय सहायता।

रिट याचिकाओं और अपील 4248 49/14 का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः

1. भारत के संविधान में तीन प्रावधान हैं- स्तरीय न्यायिक प्रणाली। संघ न्यायपालिका-स्थापना और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान (अनुच्छेद 124) तीन स्तर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 (3), (ए), (बी) और (c) संविधान का। इसमें तीन स्रोतों से नियुक्ति की परिकल्पना की गई हैः ((i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से बार के सदस्य जिनकी स्थिति कम से कम नहीं है 10 वर्ष; और (iii) कोई भी व्यक्ति, जो की राय में है राष्ट्रपति, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद द्वारा शासित होती है। 217 (2) ((क) और (ख) संविधान की जो परिकल्पना करता है -दो विभिन्न स्रोतों से नियुक्तियाँः (ए) से उन न्यायिक अधिकारियों के बीच जिन्होंने पद संभाला है कम से कम 10 वर्ष; और (बी) बार के सदस्य, जो कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हों। वर्षों से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति इनके द्वारा शासित होती है -संविधान का अनुच्छेद 233 (2) जो यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या संघ की सेवा में नहीं है राज्य केवल एक जिले के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। अधिवक्ता या एक वकील और उच्च द्वारा अनुशंसित है नियुक्ति के लिए न्यायालय। [पैरा 6 से 9] [572-डी-एच; 573-ए-बी]

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958, (एससीजे अधिनियम), एचसीजे अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम, उनके वेतन को विनियमित करते हैं और सेवा की शर्तें। दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले समान थे। द. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निम्नलिखित सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं- भारत के संविधान का अनुच्छेद 309। धारा 13 अनुसूची सौदों के भाग-1 के खंड 2 के साथ पढ़ा गया। एससीजे अधिनियम उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय पेंशन के साथ। इसी तरह, एच. सी. जे. अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है पहली अनुसूची के भाग-1 के खंड 2 से संबंधित है- उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय पेंशन। दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधान समान थे। संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले। भाग-1 का खंड 2 से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पेंशन से संबंधित है, जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया जाता है। प्रथम के भाग । का खंड (2) अनुसूची का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 4 एस. सी. आर. को कोई पेंशन देय नहीं है। न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष से कम की सेवा वाले न्यायाधीश। उपरोक्त धारा आगे दर्शाती है कि एक न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय को पूर्ण पेंशन लाभ मिलना चाहिए न्यायाधीश के रूप में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उच्च न्यायालय। अनुसूची की धारा 13 और खंड 2 -एस. सी. जे.

अधिनियम में पहले बार से नियुक्त न्यायाधीशों को पेंशन की पात्रता के संबंध में इसी तरह का निषेध था जैसा कि एच. सी. जे. अधिनियम में निहित है।दोनों अधिनियमों में प्रावधान है कि कोई पेंशन देय नहीं होगी। एक ऐसे न्यायाधीश के लिए जिसकी सेवा 7 वर्ष से कम है। [पैरा 10 [573-बी-ई; 574-ए-बी, ई-एफ, जी-एच; 575-ए]

3. सरकार, संशोधन अधिनियम, 2005 (46) के माध्यम से पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 साल की सेवा को भी इस धारा से हटा दिया गया था। इसकी अनुसूची के खंड 2 के अनुसार। [पैरा 16] [576-ई, जी]

4. द्वारा प्रदान की गई तीन स्तरीय न्यायिक प्रणाली में संविधान, बार के सदस्य, जो उच्च न्यायालय में शामिल होते हैं जिला न्यायाधीश स्तर पर न्यायिक सेवा सेवानिवृत्ति, पेंशन के उद्देश्यों के लिए अपनी सेवा के अतिरिक्त 10 साल का लाभ प्राप्त करें (नियम 268) डीएचजेएस नियम)। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो हैं उनके लिए 10 साल की अवधि दी गई बार से नियुक्त पेंशन के प्रयोजनों के लिए सेवा (संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 ए)। हालांकि, पेंशन के उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा के अतिरिक्त 10 साल का लाभ है -उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को अस्वीकार किया जाना बार से, जो मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत के संविधान के

अनुच्छेद 217 (2) के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण (एए) यह परिकल्पना की गई है कि "उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, वहाँ इसमें कोई भी अवधि शामिल होगी जिसके दौरान व्यक्ति ने न्यायिक पद या किसी सदस्य का पद संभाला हो। न्यायाधिकरण या संघ या राज्य के तहत कोई पद, कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता उसके बनने के बाद अधिवक्ता "। इस प्रकार स्पष्टीकरण में बार में एक अधिवक्ता के अनुभव और न्यायिक कार्यालय की अवधि का वर्णन किया गया है। उसे बराबर रखा। [पारस 18,19] [577-डी-जी]

5. न्यायाधीश, जिन्हें अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है 217 (2) (क) न्यायिक सेवा के सदस्य होने के नाते, भले ही वे केवल एक या दो साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, पूर्ण पेंशन लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि नियम 26 बी की प्रयोज्यता या उनकी पूर्व प्रविष्टि के कारण न्यायिक सेवा में। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बार से नियुक्त किया जाता है, उन्हें ऐसा नहीं मिलता है पूर्ण पेंशन का लाभ, जो मनमाना है और भेदभावपूर्ण। एच. सी. जे. अधिनियम की धारा 14 और पहली अनुसूची के भाग 1 का खंड 2 जो पेंशन को नियंत्रित करता है न्यायाधीशों को देय राशि असमान परिणामों को जन्म देती है। मौजूदा योजना असमान रूप से बराबर का व्यवहार करती है, जो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन

है। उपरोक्त भेदभाव को दूर करने के लिए, 5 और 6 अप्रैल, 2013 को आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में, यह थाः अन्य बातों के साथ, संकल्प लिया कि, "पेंशन लाभों के लिए, दस बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए एक अधिवक्ता के रूप में वर्षों के अभ्यास को एक योग्यता सेवा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। (समाधान नं.18 (viii)। यह याचिकाकर्ता के निवेदन का पूरी तरह से समर्थन करता है। [पैरा 20 से 22] [577-एच; 578-ए-ई]

भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 196-लागू नहीं था।

6. जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संवैधानिक कार्यालय पर अधिकृत करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं, उनके पेंशन निर्धारण के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । स्रोत चाहे जो भी हो न्यायाधीश तैयार किए जाते हैं, उन्हें उसी तरह की पेंशन दी जानी चाहिए जैसे उन्हें समान वेतन दिया गया है और सेवारत न्यायाधीशों के रूप में भत्ते और अन्य सुविधाएं। अभ्यासरत अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की स्थिति, कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियां और कर्तव्य, शायद ही कोई प्रतिष्ठित अधिवक्ता प्रस्ताव को अस्वीकार करता हो। हालाँकि यह एक सफल वकील के लिए एक बड़ा वित्तीय बलिदान हो सकता

है। न्यायाधीश पद स्वीकार करना, समाज की सेवा करने की इच्छा है, कार्यालय से जुड़ी उच्च प्रतिष्ठा और कार्यालय के आदेशों का सम्मान जो एक सफल व्यक्ति को प्रेरित करता है न्यायाधीश पद स्वीकार करने के लिए वकील का अनुभव और बार में एक सफल वकील द्वारा प्राप्त ज्ञान को किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक अधिकारी के अनुभव की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यदि न्यायिक अधिकारी की सेवा के लिए पेंशन का निर्धारण गिना जाता है तो इसका कोई वैध कारण नहीं है कि समान उद्देश्य के लिए बार में अनुभव को इसके समकक्ष क्यों नहीं माना जा सकता । [पैरा 24] [578-जी-एच; 579-ए-डी]

कुलदिप सिंह बनाम भारत संघ (2002) 9 एस. सी. सी. 218: 2002 (3) एस. सी. आर. 620; सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. और अन्य। बनाम अखिल भारतीय युवा लॉयर्स एसोसिएशन (पंजीकृत) और ए. एन. आर. (2009) 14 एस. सी. सी. 49:2009 (3) एस. सी. आर. 555; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 165; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2493: 1993 (1) पूरक। एससीआर 749

- संदर्भित किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए उच्च पेंशन का निर्धारण जिन्होंने कम समय के लिए सेवा की है के विरोध में बार से लिए

गए न्यायाधीश जिन्होनें कम पेंशन के साथ लंबे समय तक सेवा की, यह अत्यधिक भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वर्गीकरण अपने आप में अनुचित है, बिना किसी कानूनी रूप से स्वीकार्य सांठगांठ के अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई। बार से लिए गए और बेंच में 12 साल से कम समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीशों के लिए अल्प पेंशन की वजह से न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पेंशन कम होती है कम सेवा के कारण, वकील जो विशिष्टता प्राप्त करते हैं वे नहीं करते, इस विसंगति के कारण, न्यायपालिका का कार्यालय द्वारा स्वीकार न करने के कारण। जब सक्षम वकील न्यायपालिका की ओर झुकाव नहीं दिखाते हैं, तब न्याय की गुणवत्ता में गिरावट आती है। अधिकांश राज्यों में, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद आयु वर्ग के अधिवक्ताओं को दिया जाता है। 50-55 वर्षों के लिए, क्योंकि बार में श्रेष्ठता सामान्य रूप से उस उम्र में प्राप्त की जाती है। कुछ समय तक शीर्ष पर रहने के बाद वर्षों से, एक सफल वकील न्यायाधीश पद को स्वीकार करने के लिए झुकाव दिखा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश वकीलों की इच्छा और उद्देश्य की पराकाष्ठा है। कब संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, यह उस स्रोत पर निर्भर करता है जहाँ से वे नियुक्त किए जाते है, उनकी पेंशन तय करने में भेदभाव करना, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन है। संवैधानिक पद के संबंध में एक रैंक एक पेंशन मानक होना

चाहिए। जब एक सिविल सेवक सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पारिवारिक पेंशन अधिक निर्धारित की जाती है जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, यह कम दर पर तय की जाती है। पारिवारिक पेंशन के भुगतान का मामलें में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन के लिए खर्च संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (डी) (iii) के तहत भारत की समेकित निधि पर लगाया जाता है। इस प्रकार, पेंशन लाभों के लिए, बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए दस साल 'एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास को एक योग्यता सेवा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, बार से पदोन्नत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन के मामले में मनमानेपन को दूर करने का आदेश, राहत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 01.04.2004 से गणना की जानी चाहिए, वह तिथि जिस पर धारा 13 ए जोड़ी गई थी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा (वेतन) और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2005 (2005 का 46)। में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए सेवानिवृत्ति के बाद के संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियम, 1956 सेवानिवृत्त व्यक्ति के संबंध में किए गए लाभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम 3 बी द्वारा किए गए संशोधन के संदर्भ में नियम, 1959। [पैरा 25 से 29] [579-डी-एच; 580-ए-जी]

दीवानी अपील 4248-49/14

8. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के दावे के संदर्भ में, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में 18.09.2004 पर आयोजित उच्च न्यायालयों का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अनुसरण में, देश के अधिकांश राज्यों ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और संबंधित राज्यों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के विभिन्न लाभ प्रदान किए। जी. औ. एमएस. नं. द्वारा 28 दिनांकित 16.03.2012 जारी किया गया विधि विभाग, ए. पी. सरकार द्वारा अनुमोदित के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को प्रति दिन Rs.14,000/- की राशि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय और 12,000 रूपये की एक राशि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एक सुव्यवस्थित, चालक की सेवाओं का भुगतान करने के लिए, सुरक्षा गार्ड आदि और खर्चों को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर सचिवीय सहायता की दिशा में और दोपहर 15.00 बजे तक मुफ्त कॉल के साथ मुफ्त आवासीय टेलीफोन टेलीफोन अधिकारियों द्वारा प्रति माह मुफ्त कॉल की अनुमति दोनों सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ए. पी. डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012 द्वारा उठाए गए कदम। ए. पी. सरकार और अन्य राज्य जिन्होंने पहले ही ऐसी योजना तैयार कर ली है, उनकी सराहना की जाती है। वे राज्य जिन्होनें अब तक ऐसी योजना नहीं बनाई है, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, संबंधित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों

के लाभ के लिए जितनी जल्दी हो सके इसे तैयार किया जाना चाहिए।। [पैरा 32 से 34] [581-सी-डी, एफ-एच; 581-ए-सी]

मामला कानून संदर्भः

2002(3)एससीआर 620 संदर्भित किया गया है पैरा 15

2009(3)एससीआर 555 संदर्भित किया गया है पैरा 16

ए.आई.आर 1992 एस.सी196 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 23

ए.आई.आर 1992 एस.सी165 संदर्भित किया गया है पैरा 23

1993(1)पूरक एस.सी.आर.749 संदर्भित किया गया है पैरा 23

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः के अनुच्छेद 32 के तहत भारत का संविधान।

लिखित याचिका (सिविल) सं. 521/2002।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) 2002 की सं. 523,2003 की 38,2002 की 524,2003 ए. मारियारपुथम एजी, राकेश के. खन्ना, एएसजी, एम. एन. राव,पी. पी. राव, प्रवीण एच. पारेख, एस. के. दुबे, एम. आर. काला, फखरुद्दीन, सी. एम. नायर, एस. के. अग्रवाल, ए. के. श्रीवास्तव, जे. एस. अत्री, डॉ. के. पी. कैलासनाथ पिल्लै, के. पद्मनाबम नायर, एस. एस. शमशेरी, कृष्णा सरमा, सूर्यनारायण एस, मंजीत सिंह, एएजीएस, प्रोमिला,

एस. थानंजयन, समीर पारेख, सुमित गोयल, रुक्मिणी बोबडे, अभिषेक विनोद देशमुख, अक्षत कुलश्रेष्ठ, स्वर्णेंदु चटर्जी (पारेख एंड कंपनी के लिए), अनुपम लाल दास, हर्षवर्धन सिंह राठौर, रुचि कोहली, प्रियंका भरीहोक, डी. के. ठाकुर, बी. वी. बलराम दास, इरशाद अहमद, अभिषेक कुमार, रमन यादव, रचना श्रीवास्तव, उत्कर्ष शर्मा, प्रतीक्षा चतुर्वेदी, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, एस. आनंद, ए. सेल्विन राजा, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, सपम विश्वजीत मेइतेई, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, अशोक माथुर, सुनील फर्नांडिस, अरुणा माथुर, यूसुफ खान, अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी, हेमंतिका वाही, प्रीति भारद्वाज, हर्षवर्धन सिंह राठौर, रिकू सरमा, नवनीत कुमार (कॉर्पोरेट कानून के लिए समूह), अनीप सचथे, मोहित पॉल, अपूर्व कुरुप, अनिरुद्ध पी. मयी, चारुदत्त महिंदरकर, के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार, प्रगति नीखरा, के. एन. मधुसूदनन, आर. सतीश, विवेकता सिंह, नूपुर चौधरी, कमल मोहन गुप्ता, बालासुब्रमण्यम, के. वी. जगदीशवरन, जी. इंदिरा, जायेश गौरव, चौधरी, वी. जी. प्रगसम, रतन कुमार प्रभुरामसुब्रमण्यन, एस. जे. अरस्तू, रंजन मुखर्जी, सी. डी. सिंह, सुनील के. जैन, सचिन शर्मा, अशोक के. महाजन, पी. परमेस्वरन, सिबो शंकर मिश्रा, राजीव नंदा, आर. नेदुमारन, संजय आर. हेगड़े, पी. वी. योगेश्वरन, अविजीत भट्टाचार्य, आर. सतीश, जी. एन. रेड्डी, अभिजीत सेनगुप्ता, डी. एस. माहरा, नरेश के. शर्मा, कामिनी जायसवाल, टी. सी. शर्मा, टी. हरीश कुमार, अरुणेश्वर गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, जी.

प्रकाश, जी. एन. रेड्डी, ए. वेनायगम बालन, आशा जोसेफ, वी. एस. लक्ष्मी, वरिंदर कुमार शर्मा पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पी. सतशिवम, सीजेआई 1. मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (2) (बी) के तहत बार से नियुक्त किए गए है, सेवानिवृत्ति पर, उनकी पेंशन के प्रयोजनों के लिए एक अतिरिक्त 10 वर्ष की सेवा के लिए हकदार है ?

2. उपरोक्त याचिकाएं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा दायर की गई हैं साथ ही उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और बार से पदोन्नत उच्च न्यायालयों के संघ द्वारा।

3. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किए गए वर्षों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पहली अनुसूची के भाग-1 के तहत अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा में जोड़ा जाना चाहिए (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'एचसीजे अधिनियम ')। यह भी कहा गया कि पहली अनुसूची के भाग-III के संबंध में, जो राज्य न्यायिक सेवा से पदोन्नत न्यायाधीशों से संबंधित है, इस भाग के तहत पेंशन की गणना के लिए उच्च न्यायालय के लगभग

सभी न्यायाधीशों को पूरी पेंशन मिलती है भले ही उन्होंने 2 या 3 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया हो और उनकी पूरी सेवा को उनकी सेवा में जोड़ा जाता है। इस कारण से, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों की तुलना में सेवानिवृत्ति पर अधिक पेंशन मिलती है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि हालांकि भाग-I और भाग-III के न्यायाधीश समकक्ष पदों पर हैं, लेकिन वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में समान रूप से स्थित नहीं हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है और संवैधानिक कार्यालय के संबंध में एक रैंक एक पेंशन मानक होना चाहिए। यह आगे प्रार्थना की जाती है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालयों को घरेलू सहायक/चपरासी/चालक, टेलीफोन खर्च और अन्य सचिवीय सहायता के लिए बढ़े हुए भत्ते भी दिए जाने चाहिए।

5. हमने विद्वानों द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है पक्षकारों के लिए परामर्श दिया और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. भारत का संविधान तीन स्तरीय न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है । संघ न्यायपालिका-की स्थापना और संविधान भारत का सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 से 147); उच्च न्यायालय राज्यों में (अनुच्छेद 214 से 231) और अधीनस्थ न्यायालयों में (अनुच्छेद 233 से 237)।

भारत के संविधान में बार के सदस्यों में से तीनों स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

7. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह संविधान के अनुच्छेद 124 (3), (ए), (बी) और (सी) द्वारा शासित है इसमें तीन स्रोतों से नियुक्ति की परिकल्पना की गई हैः (i) कम से कम पाँच न्यायाधीशों की सेवा वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से वर्ष; (ii) बार के सदस्य जिनकी स्थिति 10 वर्ष से कम नहीं है; और (iii) कोई भी व्यक्ति, जिसकी राय में राष्ट्रपति, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हैं।

8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 (2) (ए) और (बी) द्वारा शासित है जो दो अलग-अलग स्रोतों से नियुक्तियों की परिकल्पना की गई हैः (क) उन न्यायिक अधिकारियों में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक पद संभाला है ; और (बी) बार के सदस्य, जो कम से कम 10 वर्षों से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हैं।

9. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके द्वारा शासित होती है -संविधान का अनुच्छेद 233 (2) जो प्रदान करता है कि एक व्यक्ति जो पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता या वकील रहा है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है।

10. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और शर्तें सेवा) अधिनियम, 1958 (संक्षेप में 'एससीजे अधिनियम'), एचसीजे अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम उनके वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हैं। दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधान समान थे। संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं।

11. एस. सी. जे. अधिनियम की धारा 13 को अनुसूची के भाग एक के खंड 2 के साथ पढ़ा जाता है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को देय पेंशन से संबंधित है। इसी तरह, एचसीजे की धारा 14 पहली अनुसूची के भाग-1 के खंड 2 के साथ पठित अधिनियम निम्नलिखित से संबंधित है -उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय पेंशन। दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधान पहले समान थे संशोधन अधिनियम, 2005। धारा 14 का प्रासंगिक भाग एच. सी. जे. अधिनियम इस प्रकार हैः

> " 14. न्यायाधीशों को देय पेंशन- विषय के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक न्यायाधीश को उनकी सेवानिवृत्ति पर पैमाने के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा और पहली अनुसूची के भाग 1 में प्रावधानः

बशर्ते कि ऐसी कोई पेंशन किसी न्यायाधीश को देय नहीं होगी। जब तक कि

(a) उसने पेंशन सेवा के लिए कम से कम बारह वर्ष पूरे कर लिए हैं; या

(ख) वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है; या

(ग) उनकी सेवानिवृत्ति आवश्यक रूप से खराब स्वास्थ्य के कारण चिकित्सकीय प्रमाणित है "

12. उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-I का खंड 2 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पेंशन से संबंधित है। जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया जाता है, जो इस प्रकार हैः

" 2. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक न्यायाधीश को देय पेंशन, जिसके लिए यह भाग लागू होता है और जिसके पास है पेंशन के लिए कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

(क) किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए,रूपये 43,890/- प्रति वर्ष सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए। प्रति वर्ष सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए;

(ख) किसी भी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश

के रूप में सेवा के लिए रूपये 34,350/-प्रति वर्ष सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए।

बशर्ते कि इस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के मामले में पेंशन प्रति वर्ष रु. 5,40,000/- से अधिक नहीं होगी और किसी अन्य न्यायाधीश के मामले में प्रति वर्ष रु. 4,80,000/- "।

13. प्रथम के भाग 1 का उपर्युक्त खंड (2) अनुसूची का तात्पर्य है कि उन न्यायाधीशों को कोई पेंशन देय नहीं है जिन्होने न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष से कम की सेवा की हो। उपरोक्त धारा आगे दर्शाती है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए पूर्ण पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 12 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। इसे प्रस्तुत किया जाता है कि जब बार के सदस्यों को उच्च पद की पेशकश की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, वे आम तौर पर लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं और अपने अभ्यास के शीर्ष पर होते हैं, जिससे उन्हें व्यवस्था की सेवा करना छोड़ना पडता है। इसलिए, उनमें से कई इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं।

14. एस. सी. जे. की अनुसूची की धारा 13 और खंड 2 अधिनियम

में बार से नियुक्त न्यायाधीशों की पेंशन याेग्यता के संबंध में समान निषेध था जैसे एच. सी. जे. अधिनियम में निहित है। दोनों अधिनियमों में प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम की सेवा वाले न्यायाधीश को कोइ पेंशन देय नहीं होगी।

15. कुलदीप सिंह बनाम भारत संघ, (2002) 9 एस. सी. सी. 218 में,याचिकाकर्ता, जिसे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था , उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लाभों से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की थी। परिणामस्वरूप उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। अन्य बातों के साथ

(क) पेंशन के उद्येश्य के लिए उनकी सेवा के अलावा उनकी बार में की गइ १० साल की सेवा पर भी विचार किया जाए

(ख) वैकल्पिक रूप से, नियुक्त लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए एक निर्देश के लिए प्रार्थना की अनुच्छेद 124 (3) (बी) के तहत [2014] 4 एस. सी. आर. के बराबर पेंशन के प्रयोजनों के लिए। अनुच्छेद 124 (3) (ए) के तहत नियुक्त। 24.09.2002 पर, जबकि नोटिस देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 1. इस रिट याचिका में, वह प्रश्न जो उत्पन्न होता है पेंशन से संबंधित है जो एक न्यायाधीश जो इस न्यायालय

से सेवानिवृत्त होने के बाद सीधे बार से नियुक्त है, को देय है ऐसा ही सवाल उच्च न्यायालयों में बार नियुक्तियों के संबंध में उत्पन्न होता है।

2. अनुभव से पता चला है कि बार द्वारा नियुक्त किए गए लोग, विशेष रूप से, यदि उन्हें 50 वर्ष की आयु में नियुक्त किया जाता है और ऊपर, सेवा न्यायाधीश की तुलना में कम पेंशन प्राप्त करें नियुक्तियाँ। यह देखा जाना चाहिए कि जहां तक संविधान की बात है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके को निर्धारित करता है और बताता है कि उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता क्या हो सकती है। संविधान में उच्च पद पर नियुक्ति पर विचार किया गया है बार के सदस्यों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के बीच से। संविधान में नहीं है किसी भी विशिष्ट कोटा के लिए प्रावधान करें। कुछ साल पहले तक 66 2/3% रिक्तियों को बार के सदस्यों और 33 1/3% न्यायिक सेवाओं से भरा गया। यह केवल प्रमुख के 4-12-1993 के सम्मेलन में है, मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों ने यह निर्णय लिया कि न्यायिक अधिकारियों में से रिक्तियों की संख्या "40 प्रतिशत तक जा सकती है"। 4-12-1993 का निर्णय यह नहीं हो सकता है कि सेवाओं से न्यायाधीशों की संख्या होनी

चाहिए 40 प्रतिशत हो। सामान्य अभ्यास जिसका पालन किया गया है वह था 2/3 बार के सदस्यों में से और 1/3 न्यायिक सेवाओ से और यह केवल एक दुर्लभ पर है ऐसा अवसर जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं यदि उपयुक्त हो तो और अधिक सेवा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव करें जब बार के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ऐसा किसी भी मामले में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 1999 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया था कि कोटा सामान्य रूप से 66 2/3% और 33 1/3 प्रतिशत होना चाहिए और यह इस आधार पर बार न्यायाधीशों की संभावित संख्या का निर्धारण करना चाहिए और जहाँ तक पेंशन का संबंध है, फिर विचार करें कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो बार के सदस्यों में से नियुक्त किए गए है, को उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना बार के सदस्यों को दिया जाता है, जिन्हें इस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है "। (जोर दिया गया)

16. सरकार, संशोधन अधिनियम, 2005 (46/2005) के माध्यम से, एस. सी. जे. अधिनियम में धारा 13 ए जोड़ी गई जो इस प्रकार है

" इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन, दस साल की अवधि को एक न्यायाधीश की सेवा में अपनी पेंशन के उद्देश्य के लिए जोड़ा जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (3) के उपखंड (बी) के तहत नियुक्ति के लिए योग्य न्यायाधीश है"।

इसलिए, पेंशन के लिए पात्र होने के लिए न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 साल की सेवा की शर्त को धारा के साथ-साथ इसकी अनुसूची के खंड 2 से हटा दिया गया था। संशोधन को ध्यान में रखते हुए, उक्त रिट याचिका को 06.12.2005 पर वापस लिया गया बताकर खारिज कर दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता की रिट याचिका और अन्य संबंधित मामले लंबित रहे।

17. दिल्ली एन. सी. टी. सरकार और अन्य बनाम अखिल भारतीय युवा वकीलों का संघ (पंजीकृत) और एक और, (2009) 14 एस. सी. सी. 49, एक वकील संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि 15 साल की सेवा का जोड़ कर न्यायाधीश को लाभ दिया जाए दिया जाए, जो सीधे पेंशन के प्रयोजनों के लिए बार से उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त हुए है। रिट याचिका को अनुमति दी गई और नियम 26 बी को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 में जोड़ने का आदेश दिया गया था। सरकार. एन. सी. टी. दिल्ली ने

चुनौती दी उक्त निर्णय और आदेश और इस न्यायालय ने नियम 26 बी की वैधता को बरकरार रखा, हालांकि, सेवा में जोड़ी जाने वाली अवधि के लिए पेंशन के उद्देश्यों को घटाकर 10 वर्ष या बार में वास्तविक अभ्यास, जो भी कम हो, कर दिया गया था।

18. संविधान द्वारा प्रदान की गई तीन स्तरीय न्यायिक प्रणाली में, बार के सदस्य, जो जिला न्यायाधीश स्तर पर उच्च न्यायिक सेवा में शामिल होते हैं, सेवानिवृत्ति पर, पेंशन के उद्देश्यों के लिए अपनी सेवा के अतिरिक्त 10 वर्ष का लाभ प्राप्त करते हैं (डी. एच. जे. एस. नियमों का नियम 26 बी)। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बार से नियुक्त किया जाता है, पेंशन के प्रयोजनों के लिए 10 की अवधि दी जाती है। पेंशन के प्रयोजनों के लिए उनकी सेवा के लिए वर्ष (संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 ए)। हालांकि, बार से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन के उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा के अतिरिक्त 10 साल का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

19. भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (2) से जुड़े स्पष्टीकरण (एए) में परिकल्पना की गई है कि, "अवधि की गणना के दौरान कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, उसमें कोई भी अवधि शामिल होगी जिसके दौरान व्यक्ति ने न्यायिक पद या किसी न्यायाधिकरण

के सदस्य का पद या संघ या राज्य के तहत कोई पद धारण किया, जिसके लिए अधिवक्ता बनने के बाद कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की व्याख्या बार में एक अधिवक्ता के अनुभव और न्यायिक कार्यालय अवधि पर समान रूप से विचार करता है।

20. न्यायाधीश, जिन्हें अनुच्छेद 217 (2) (ए) के तहत न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, भले ही वे एक या दो साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य करते हों, पूर्ण हो जाते हैं नियम 26 बी के लागू होने के कारण या न्यायिक सेवा में उनके पहले प्रवेश के कारण पेंशन के पूर्ण लाभ पास करते है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बार से नियुक्त किया जाता है, उन्हें पूर्ण पेंशन का समान लाभ नहीं मिलता है, जो मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

21. उच्च न्यायालय के एच. सी. जे. अधिनियम की धारा 14 और पहली अनुसूची के भाग 1 का खंड 2 ,जो उन्हें देय पेंशन को नियंत्रित करता है, न्यायाधीश असमान परिणामों को जन्म देते हैं। मौजूदा योजना असमान रूप से समान लोगों के साथ व्यवहार करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

22. उपरोक्त भेदभाव को दूर करने के लिए, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन 5 और 6 अप्रैल, 2013 को आयोजित किया गया था। अन्य रूप

से, यह संकल्प लिया गया कि "पेंशन लाभों के लिए, एक अधिवक्ता के रूप में दस साल के अभ्यास को बार से नियुक्त न्यायाधीशों के लिए एक योग्य सेवा के रूप में जोड़ा जाए "। (संकल्प No.18 (viii)। यह याचिकाकर्ता के निवेदन का पूरी तरह से समर्थन करता है।

23. प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत निर्णय का अनुपात भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 196 लागू नहीं है क्योंकि उसमें जिस राहत की प्रार्थना की गई थी पूरी तरह से अलग है और यह भी क्योंकि यह प्रति इनक्यूरियम की दृष्टि से है अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 165 में समान शक्ति वाले इस न्यायालय के बाद के निर्णय; और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2493 जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और दो निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है यानी कुलदिप सिंह (ऊपर) और ऑल इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन (ऊपर)।

24. जब न्यायाधीश के संवैधानिक कार्यालय पर अधिकृत व्यक्ति, उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त, उनकी पेंशन के निर्धारण के संबंध में कोइ भेदभाव नहीं होना चाहिए । इस बात की परवाह किए बिना कि न्यायाधीश कहाँ से लिए गए हैं, उन्हें वही पेंशन दी जानी चाहिए जो उन्हें सेवारत न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते और भत्ते दिए गए हैं। केवल उन

अधिवक्ताओं को जिन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त कर रखी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की स्थिति के कारण, कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के कारण, शायद ही कोई श्रेष्ठ वकील प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। हालांकि न्यायाधीश पद स्वीकार करने के लिए एक सफल वकील के लिए यह एक महान वित्तीय बलिदान हो सकता है, यह समाज की सेवा करने की इच्छा है कार्यालय से जुड़ी उच्च प्रतिष्ठा और कार्यालय आदेश का सम्मान है जो एक सफल वकील को न्यायाधीश पद स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। एक सफल वकील द्वारा बार से प्राप्त अनुभव और ज्ञान, न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव की तुलना में किसी भी दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा को पेंशन के निर्धारण के लिए गिना जाता है, तो कोई वैध कारण नहीं है कि बार से अनुभव प्राप्त व्यक्ति को उसी उद्देश्य के लिए समकक्ष क्यों नहीं माना जा सकता है।

25. अधीनस्थ न्यायपालिका से लिए गए न्यायाधीशों के लिए उच्च पेंशन का निर्धारण जिन्होंने, बार से लिए गए न्यायाधीशों जिन्होनें कम पेंशन के साथ लंबी अवधि तक सेवा की है, के परस्पर विरोध में कम अवधि के लिए सेवा की है, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जिस उददेश्य को प्राप्त करना चाहा उसके साथ यह वर्गीकरण बिना किसी कानूनी दृष्टि के अपनेआप में अनुचित है।

26. बार से प्राप्त न्यायाधीशों के लिए अल्प पेंशन और न्यायपीठ में 12 वर्ष से कम समय तक सेवा करने से न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम सेवा के कारण जब पेंशन कम होती है, तब वो वकील जो पेशे में विशिष्टता प्राप्त करते हैं, इस विसंगति के कारण न्यायपालिका के कार्यालय को स्वीकार नहीं कर सकते। जब सक्षम वकील न्यायपालिका की ओर झुकाव नहीं दिखाते हैं तब न्याय की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

27. अधिकांश राज्यों में, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद उन अधिवक्ताओं को दिया जाता है जो 50-55 आयु वर्ग के हैं, क्योंकि बार में श्रेष्ठता सामान्य रूप से उस उम्र में प्राप्त की जाती है। कुछ वर्षों तक शीर्ष पर रहने के बाद, एक सफल वकील न्यायाधीश पद स्वीकार करने के लिए झुकाव दिखा सकता है, क्योंकि वह अधिकांश वकीलों की इच्छा और उद्देश्य की पराकाष्ठा है। जब संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, जिस स्रोत से उन्हें नियुक्त किया गया था, उसके आधार पर उनकी पेंशन के निर्धारण में भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। संवैधानिक कार्यालय के संबंध में एक रेंक एक पेंशन का एक मानक होना चाहिए।

28. जब कोई सिविल सेवक सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो पारिवारिक पेंशन उच्च दर पर तय की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों के मामले में यह कम दर पर तय किया गया है। पारिवारिक पेंशन के भुगतान के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन के लिए व्यय संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (डी) (iii) के तहत भारत की संचित निधि पर लगाया जाता है।

29. चर्चा के आलोक में, हम याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि पेंशन लाभों के लिए, एक अधिवक्ता के रूप में दस साल के अभ्यास को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए, योग्यता के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, बार से पदोन्नत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन के मामले में मनमानेपन को हटाने के लिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है, उपरोक्त की गणना 01.04.2004 से की जानी है, जिस तारीख को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2005 (2005 का 46) द्वारा धारा 13 ए जोडी गई थी। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संबंध में उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में आवश्यक संशोधन होना चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम 1959, के 3 बी द्वारा संशोधन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा निष्पादित है।

2014 का सिविल अपील सं. (2010 के एस. एल. पी.(सी) एन औ

एस. 9558-9559 से उत्पन्न

30. अनुमति प्रदान की गई।

31. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ के अनुरोध पर, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को घरेलू सहायक/चपरासी/चालक/टेलीफोन खर्च और सचिवीय खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति माह 9,000/- रुपये का भुगतान करने और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रति माह रु 7,500 /- समान प्रयोजनों के लिए भुगतान का निर्देश दिया। उक्त आदेश 01.02.2010 से प्रभावी होगा। उक्त पर सवाल उठाते हुए, राजस्थान राज्य सरकार ने उपरोक्त अपील दायर की है।

32. उपरोक्त दावे और उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में 18.09.2004 पर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया थाः

" 18. न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में वृद्धि।

[vi] उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संबंध में, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा स्वीकृत योजना के कानून को सभी राज्यों में अपनाया और लागू किया जाए, सिवाय उन राज्यों के जहां पहले से ही बेहतर लाभ उपलब्ध हैं।

33. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, देश के अधिकांश राज्यों ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और संबंधित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के बाद विभिन्न लाभों का विस्तार किया है। दिनांक 16.03.2012 को आंध्र प्रदेश सरकार के विधि विभाग द्वारा जारी जी. औ. एमएस. नं. 28 ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को प्रति महीना प्रति व्यक्ति Rs.14,000/- की राशि और आंध्र उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्रति महीना प्रति व्यक्ति रु. 12,000/-की राशि चालक, सुरक्षाकर्मी वगैरह तथा अनुबंध पर सचिवीय सहायता के लिए की गइ मीटिंग पर किए गए व्यय और एक आवासीय निःशुल्क टेलीफॉन नंबर प्रतिमाह मुफत 1500 कॉल की सीमा तक एवं इसके उपर की सीमा तक के फॉन कॉल्स टेलीफॉन अथाॅरिटी द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों दोनों के लिए स्वीकृत किए जाएंगे जो कि दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है।

34. आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए जिन्होंने अब तक ऐसी योजना बनाई है, हम आशा करते और विश्वास करते है कि जिन राज्यों ने अब तक ऐसी योजना नहीं बनाई है, वे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, संबंधित उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लाभ के लिए उसी तरह तैयार करें, इस प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की

अवधि तक यथाशीघ्र आदेश दें।

35. उपरोक्त शर्तों पर सभी रिट याचिकाओं और अपीलों का निपटारा किया जाता है। रिट याचिकाओं के निपटारे को देखते हुए, हस्तक्षेप आवेदन में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

लिखित याचिकाओं और अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमान राजेन्द्र बंशीवाल (आर. जे. एस.) द्वरा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।